

बिहार सरकार

(समाहृतणालय, खगड़िया)

राजस्व प्रशाखा

डोउरी

खगड़िया, दिनांक २३-९-६२

अधिसूचना सं०-३ रा०/६२ चूंकि हमके साथ अनुवृद्ध तालिका के स्तम्भ १ में उल्लिखित भूधारी द्वारा भूमि के संबंध में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिभोग भूमि अधिनियम) अधिनियम बिहार एक्ट १९६१ (संशोधन) अधिनियम, ऑफ-सॉलिंग एडिवा एण्ड एक्टिवीजेशन ऑफ नरानलन गैरड एक्ट १९६१, एक्ट १९६२ और ऑफ १९६२) के धारा-११ के उपधारा (१) के अधीन विवरण नीचे तालिका में प्रकाशित किया गया है।

आर चूंकि उक्त विवरण के उक्त तालिका में स्तम्भ २ से ६ तक में वर्णित भूमि अधिभोग भूमि के रूप में दिखाई गई है।

इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में बिहार अध्यादेश सं०-६३ व १ की धारा २ (१) की शर्तों प्रकृत धारकों को प्रयोग करने का निर्देश है। खगड़िया उक्त अधिनियम को प्रयोजनार्थ लागू हो सकने हेतु उक्त अधिभोग भूमि जो लोक प्रयोग के लिए अधिभोग के अधीन करनी है।

तालिका

अधिभोग भूमि के धारकों :

धारा का नाम एवं पता	सौदा न०	स्थान न०	खाना न०	खसरी	रकबा वर्ग ए० डा०
१	२	३	४	५	६
सहृथ गोविन्द गोस्वामी एवं	बस्ता	२२७	१४०	१५५	१-२० VI
राजेंद्र गोस्वामी-चेला					
हितो गोस्वामी					
ग्राम-कवीरमठ, हरिहरपुर					
पो०-हरिहरपुर					
खाना-खानापुर (सहृसा)-					

कुल योग— १:५०
(एक एकड़ पचास डिसमल) मात्र।

ह०- (एस० त्रिपाठी)
समाहृति, खगड़िया

अधिसूचना

अधिसूचना सं. ६ रा. ९२, दिनांक—१६-३-९२ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बसाहती, बसाहती के अधिकार में इसका द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत अधिनियम के अनुच्छेद ३४ के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

ह०/- (सुधीर त्रिपाठी)
समाहता
खगड़िया।

NOTIFICATION

Notification no 6 /R/92. Where as a statement under sub-section (i) of section 11 of Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling area and acquisition of surplus Land) Act 1961 (Bihar Act 12 of 1962) with regard to the land hold by the land holder mentioned in col. 1 of the Table here to be annexed, has been published.

And whereas in the said statement the Land described in col. 2 to 6 of the said table have been shown as surplus land.

Now, therefore in exercise of the Powers conferred by sub-section (i) of the section 15 of the said Act read with subclause 3(i) of Bihar ordinance no. 66/81.

I, Collector, Khagaria acquire for the purpose of the said Act, the said surplus land which is required for public purpose.

TABLE

Nama of the Land holder & his father's name & address.	Village Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area	Remarks Class
1	2	3	4	5	6
Mahanth Govind Goswami & Mahanth Rajendra Goswami Chela-Hito Goswami At-Kabir math, Hariharpur P.O.-Hariharpur P.S.-Chhatapur (Saharsa)	Banni 287	140	155	1-50	VI

Total - 1-50 acre.
(One acre & fifty dis. only)

Sd./- S. Tripathi
Collector, Khagaria